न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा
पीठासीन अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–6 / 2024 (प्रा0पत्र)

खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

बउनवान

सरकार जर्ये संदीप अग्रवाल खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा।

– आवेदक

बनाम

1. श्री दौलतराम पुत्र श्री मूलचन्द खाधकारोबारकर्ता
मैसर्स – हरिश किराना स्टोर मेन मार्केट गैता रोड,जिला कोटा
निवासी गैता रोड नगर पालिका के पास इटावा जिला कोटा।
2. श्री विनोद कुमार जागरोतिया पुत्र श्री दौलतराम (लाईसेंसी)
मैसर्स :– हरिश किराना स्टोर मेन मार्केट गैता रोड इटावपा,जिला कोटा
3. श्री नरेन्द्र कुमार मंगल पुत्र कन्हैयालाल मगंल (मालिक)
मैसर्स :– बालाजी ट्रेडर्स इटावा,जिला कोटा।
4. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेमनारायण (लाईसेंसी)
मैसर्स – साई लीला एसोसिएट 22 कृष्णा नगर रंगबाडी कोटा
5. श्री आलोक कुमार सिह पुत्र श्री शिवनारायण सिह (नोमिनी)
मैसर्स :– **Indoden Enterprises Pvt. Ltd. 2181] Pase-2 Sector-30 Raj Industrial area] Sonipat Haryana- 131001**

6- मैसर्स :– **Indoden Enterprises Pvt. Ltd. 2181] Pase-2 Sector-30 Raj Industrial area] Sonipat Haryana- 131001**

- अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)
एफ.एस.एस.एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक :.....29/01/26.....

आवेदक खाध सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रकरण जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)एफ.एस.एस.एक्ट 2006 नियम 2011 में प्रस्तुत किया है कि में दिनांक 2.3.2023 को समय 12:30 पीएम पर अपने खाध सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिग दल के साथ मैसर्स हरिश किराना स्टोर मेन मार्केट गैता रोड इटावा,जिला कोटा पर पहुँचा। मौके पर श्री दौलतराम उपस्थित मिले खाध सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया श्री दोलतराम पुत्र मूलचन्द निवासी गैता रोड नगरपालिका के पास इटावा स्वंय को मैसर्स हरिश किराना स्टोर मेन मार्केट गैता रोड इटावा का कारोबारकर्ता होना जाहिर किया, खाध सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता फर्म का फूड लाईसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा विक्रेता द्वारा मौके पर प्रस्तुत स्वंय के आई.डी. फ्रूफ की प्रति,फूड लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

संस्थान का निरीक्षण करने पर यह यहा लकडी की रैक में 10 कार्टन पैक (प्रत्येक 500 एमएल) घी (इन्डाना) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, मे से अवमानक का शक होने पर इसकी जॉच एफ एस एस एक्ट के तहत करवाने के लिए 4 कार्टन पैक प्रत्येक 500 एमएल घी (इन्डाना) वास्ते नमूला जॉच संख्या टी–3140 के एफएसए 2006 एवं नियम 2011 के नियमानुसार नमूनीकरण हेतु खरीदने के लिए रबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाधकारोबारकर्ता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाध प्रदार्थ घी (इन्डाना) वास्ते जॉच एफ एस एस के तहत खरीद रहा हूँ। रूबरू गवाह के सामने खाधकारोबारकर्ता को रूपये

अति. जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त प्रतिपक्षीगण की दुकान से जॉच नमूना लिये गये घी (इन्डाना) खाध विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट **325/PHL/kota/Act/2023/327** दिनांक 19.03.23 एवं रेफरल फूड लैब पूणे की जॉच रिपोर्ट कमांक **/RFL/P/DO-313/23/385/2023** दिनांक 13.07.2023 के अनुसार यह नमूना **Sub-standard as per section 3 [1] [zx] of food Safety & Standards act 2006** होना पाया गया है जो एफएस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(ii) का उल्लधंन है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। जिसके लिए अभियुक्त प्रतिपक्षी को खाधसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिपक्षीगणों पर खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लधंन प्रमाणित पाये जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार प्रतिपक्षीगणों पर 200000/रू0 अक्षरे दो लाख रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है । अभियुक्त प्रतिपक्षीगण उक्त राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रां अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

वीरेन्द्र सिह यादव
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा
कोटा,जिला कोटा

1060/–नगद देकर उसमें से 4 कार्टन पैक प्रत्येक 500 एम एल धी (इन्डाना) वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा तथा रूपयो की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे एवं गवाह के हस्ताक्षर तथा खाधकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है।

खाधकारोबारकर्ता व गवाह के रूबरू खरीदशुद्वा 4 कार्टन पैक प्रत्येक 500 एम एल धी (इन्डाना) के मूल ही प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर टी–3140 खाध प्रदार्थ धी (इन्डाना) का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान व दिनांक अंकित की गई,मेने गवाह ने एवं खाधकारोबारकर्ता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं कमांक टी–3140 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोद से चिपकाई प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागें से बांधा एव धागें की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एवं चारो नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये एवं खाधकारोबारकर्ता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोंस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये एव गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया, समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की जिसे पढकर,पढाकर,समझाकर व सही मानकर होश हवास में मेने,गवाह व भागीदार के हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना टी– 3140 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त कार्यवाही मेने स्वंय, गवाह व खाधकारोबारकर्ता के सामने मौके पर ही की है। नमूना लेने के पश्चात शेष माल को सीज किया।

यह कि कार्यालय पहुंच कर फार्म नं.6 की प्रतियां तैयार की गई जिन पर खाध विश्लेषक कोटा का पता अंकित किया गया एवं जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागें से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म न. 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफें में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाध विश्लेषक कोटा का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा अगले कार्य दिवस को खाध विश्लेषक खाध सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा को वास्ते जॉच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग अलग संलग्न है। टी–3140 नमून के द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ भाग अभिहित अधिकारी कोटा को जमा कराये गये। अभिहित अधिकारी कोटा के पत्रांक/173 दिनांक 10.4.2023 के साथ संलग्न जॉच मूल रिपोर्ट **325/PHL/kota/Act/2023/327** दिनांक 19.03.23 के अनुसार उक्त खाध प्रदार्थ धी (इन्डाना) का नमूना अनसेफ होना पाया गया।

यह कि खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के उपनियम 2.4. 2(6) के अन्तर्गत इस के रजि0 पत्र संख्या एफएएसए/2023/173 दिनांक 10.4.2023 के द्वारा खाध विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट **325/PHL/kota/Act/2023/327** दिनांक 19.03.23 श्री दौलतराम खाधकारोबारकर्ता व अन्य को नियम 2,4, 2(6) एवं धारा 46(4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित की गई। मैसर्सः साई लीला एसोसिएट के द्वारा रेफरल फूड लैब पूणे से पुनः जॉच करवाये जाने हेतु आवेदन करने पर नमूना रेफरल फूड लैब पुणे भिजवाया गया । रेफरल फूड लैब पूणे की जॉच रिपोर्ट कमांक **/RFL/P/DO-313/23/385/2023** दिनांक 13.07.2023 के अनुसार उक्त खाध प्रदार्थ में **B.R.Reading 40-0 to44.0** के स्थान पर **53.2 Reichert Meissl Value Shall be min.24** के स्थान पर **201.61, Test For presence of foreign fat shall be absent** के स्थान पर **Present** होना पाया गया। अतः प्रयोगशाला पुणें की **Opinion** के अनुसार यह नमूना **Sub-standard as per section 3 [1] [zx] of food Safety & Standards act 2006** होना पाया गया है जो एफएस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(II) का उल्लधंन है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करे ताकि अवमानक (**Sub-standard**] खाध प्रदार्थ के निर्माण एवं विकय को रोका जा सके।

आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगणों ने उपस्थित होकर नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाह कर प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थी आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विकेता प्रतिपक्षी द्वारा विकय किये जा रहे उक्त धी (इन्डाना) जॉच रिपोर्ट के अनुसार अवमानक (सब–स्टेण्डर्ड) पाये गये है। जिसके लिए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे। उभय पक्ष को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त

अति. जिला कलक्टर
कोटा